रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-एम.एच.-अ.-03092025-265904 CG-MH-E-03092025-265904

### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 600] No. 600] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 2, 2025/भाद्र 11, 1947 NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 2, 2025/BHADRA 11, 1947

## भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

# अधिसूचना

मुंबई, 1 सितम्बर, 2025

# भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

# [इक्किटी शेयरों की असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग)] (संशोधन) विनियम, 2025

- सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2025/257— बोर्ड, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 21क (21ए) के साथ पठित धारा 31 तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30, धारा 11 की उप-धारा (1) एवं धारा 11क (11ए) की उप-धारा (2) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग)] विनियम, 2021 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:–
- 1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [इक्किटी शेयरों की असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग)] (संशोधन) विनियम, 2025 कहा जा सकेगा ।
- 2. ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख से लागृ होंगे:
  - परंतु यह कि इन विनियमों के प्रावधान असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग) के उन प्रस्तावों (ऑफर) के मामले में लागू होंगे, जहाँ असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग) हेतु आरंभिक सार्वजनिक घोषणा न की गई हो ।

5879 GI/2025 (1)

3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग)] विनियम, 2021 में, अध्याय– VI में, भाग-ङ के बाद, निम्नलिखित भाग जोड़ा जाएगा, अर्थातु,-

#### "भाग-च

# सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पी.एस.यू.) की असूचीबद्धता (को असूचीबद्ध कराने / की डीलिस्टिंग) के लिए विशेष प्रावधान

## सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के इक्किटी शेयरों को असूचीबद्ध (डीलिस्ट) कराना

- 38ख. (1) इन विनियमों के प्रावधान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी.एस.यू.) [बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एन.बी.एफ.सी.) और बीमा कंपनियों को छोड़कर] के इक्विटी शेयरों को असूचीबद्ध (डीलिस्ट) कराने के मामले में, जरूरी बदलावों के साथ, लागू होंगे, हालाँकि उप-विनियम (2) एवं उप-विनियम (3) के प्रावधानों का पालन करना होगा।
- (2) सार्वजनिक क्षेत्र के जिस उपक्रम (पी.एस.यू.) का जिक्र उप-विनियम (1) में किया गया है, उसके इक्विटी शेयर उन सभी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों से असूचीबद्ध (डीलिस्ट) कराए जा सकेंगे, जहाँ-जहाँ भी वे सूचीबद्ध (लिस्टिड) हों, बशर्ते कि:
  - (क) अर्जनकर्ता (अक्वायरर) और दूसरे पी.एस.यू. के पास पड़े शेयरों की कुल संख्या उस वर्ग के जारी किए गए शेयरों की कुल संख्या के नब्बे प्रतिशत के बराबर या उससे अधिक हो जाए;
  - (ख) जिस पी.एस.यू. का जिक्र उप-विनियम (1) में किया गया है उसके शेयरधारकों से, डाक मतपत्र (पोस्टल बैलेट) या ई-वोटिंग के जिरए विशेष संकल्प (रेजॉल्यूशन) पारित करवाकर, असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग) के लिए मंजूरी ले ली जाए, और उस संकल्प (रेजॉल्यूशन) के संबंध में भेजी गई सूचना (नोटिस) के व्याख्यात्मक विवरण (एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट) में इस प्रकार की जा रही असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग) से संबंधित समस्त महत्त्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी दे दी जाए:
  - (ग) असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग) तय कीमत की प्रक्रिया (फिक्स्ड प्राइस प्रोसेस) अपनाकर की जा रही हो;
  - (घ) जिन इक्विटी शेयरों को असूचीबद्ध (डीलिस्ट) कराने का प्रस्ताव हो, उनकी निम्नतम कीमत (फ्लोर प्राइस) निम्नलिखित में से जो भी सबसे ज्यादा हो उससे कम न हो:
    - (i) अर्जनकर्ता (अक्वायरर) और उसके साथ सामान्य मित से कार्य करने वाले व्यक्तियों द्वारा, संदर्भ तारीख (रेफरेंस डेट) से ठीक पहले के 52 सप्ताहों के दौरान खरीदने (अर्जन / एक्विजिशन) हेतु, अदा की गई या अदा की जाने वाली वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस (मात्रा भारित औसत कीमत);
    - (ii) अर्जनकर्ता (अक्वायरर) और उसके साथ सामान्य मित से कार्य करने वाले व्यक्तियों द्वारा, संदर्भ तारीख (रेफरेंस डेट) से ठीक पहले के 26 सप्ताहों के दौरान खरीदने (अर्जन / एक्विजिशन) हेतु, अदा की गई या अदा की जाने वाली अधिकतम कीमत;
    - (iii) कंपनी जिस उद्योग (इंडस्ट्री) से जुड़ी हुई हो उसी उद्योग की कंपनियों के शेयरों के मूल्यांकन के लिए अपनाए जाने वाले मापदंडों [जैसे कि बही-मूल्य (बुक बैल्यू), समायोजित बही-मूल्य (एडजस्टेड बुक वैल्यू), कंपेरेबल ट्रेडिंग मल्टीपल्स, इनकम अप्रोच और आम तौर पर अपनाए जाने वाले मूल्यांकन के किसी दूसरे मापदंड (कस्टमरी वैल्यूएशन मेट्रिक्स)] के आधार पर दो रजिस्टर स्वतंत्र मूल्यांककों (वैल्युअर्स) से प्राप्त संयुक्त मूल्यांकन रिपोर्ट में तय की गई कीमत; और

- (ङ) असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग) हेतु तय की गई कीमत उप-खंड (घ) के अनुसार निकाली गई कीमत से कम से कम पंद्रह प्रतिशत ज्यादा हो।
- (3) जहाँ इस भाग के प्रावधानों के अनुसार किसी पी.एस.यू. के शेयरों को असूचीबद्ध (डीलिस्ट) कराया गया हो और उस पी.एस.यू. ने लागू कानूनी प्रावधानों के तहत स्वेच्छा से अपनी कंपनी का नाम रजिस्टर से कटवाने की प्रक्रिया शुरू की हो, और यदि इस प्रकार नाम असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग) की तारीख से एक वर्ष के बाद (किंतु एक वर्ष की वह अवधि समाप्त हो जाने की तारीख से तीस दिनों के भीतर) कट जाए, तो ऐसे में नाम कटने के बाद नीचे दी गई शर्तों का पालन करना होगा:-
  - (क) 'आम शेयरधारकों की श्रेणी में आने वाले जिन शेष शेयरधारकों' (पब्लिक शेयरहोल्डर्स) ने असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग) की प्रक्रिया में अपने शेयर न सौंपे हों उन्हें देय रकम नामनिर्दिष्ट (डेसिग्नेटेड) स्टॉक एक्सचेंज के निर्धारित खाते में ट्रांसफर (अंतरित) कर दी जाए, और नामनिर्दिष्ट स्टॉक एक्सचेंज वह रकम सात वर्षों की अवधि तक अपने पास रखे तथा उस अवधि के दौरान निवेशक नामनिर्दिष्ट स्टॉक एक्सचेंज के यहाँ अपनी बकाया रकम हेत् दावा प्रस्तुत कर पाएँ;
  - (ख) खंड (क) में बताई गई अवधि पूरी हो जाने के बाद, वह रकम लागू कानूनी प्रावधानों के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत बनाई गई निवेशक शिक्षण और संरक्षण निधि में, ट्रांसफर (अंतरित) कर दी जाए;
  - (ग) यदि किसी कारणवश, खंड (ख) के अनुसार वह रकम, कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत बनाई गई निवेशक शिक्षण और संरक्षण निधि में ट्रांसफर (अंतरित) न की जा सके, तो ऐसे में वह रकम बोर्ड की निवेशक संरक्षण और शिक्षण निधि में ट्रांसफर (अंतरित) कर दी जाए; और
  - (घ) एकबार जब वह रकम, यथास्थिति, निवेशक शिक्षण और संरक्षण निधि या निवेशक संरक्षण और शिक्षण निधि में ट्रांसफर हो जाए, तो उसके बाद निवेशक बकाया रकम हेतु दावा नामनिर्दिष्ट स्टॉक एक्सचेंज के यहाँ प्रस्तुत कर पाए, और फिर वह नामनिर्दिष्ट स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाने वाली प्रक्रियाओं के अनुसार, उपरोक्त फंड (निधि) में से उपरोक्त रकम के भुगतान हेतु दावा प्रस्तुत कर पाए।"

अमित प्रधान, कार्यपालक निदेशक [विज्ञापन-III/4/असा./333/2025-26]

## पाद टिप्पण:

- 1. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग)] विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021-25, द्वारा 10 जून, 2021 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
- 2. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग)] विनियम, 2021 तत्पश्चात्,-
  - (1) 3 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/30, द्वारा
  - (2) 25 सितम्बर, को भारतीय 2024 प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड] इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता [(डीलिस्टिंग) विनियम (संशोधन),2024, सं/जीएन/एनआरओ-एलएडी/सेबी .202206/4, द्वारा
- (3) 2 8नवम्बर, को भारतीय 2024 प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड) दस्तावेजों को प्रमाणित करनाविनियम (संशोधन) (, 2024, फा/जीएन/एनआरओ-एलएडी/सेबी .सं .202212/4, द्वारा संशोधित हुए थे।

# SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA NOTIFICATION

Mumbai, the 1st September, 2025

### SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

## (DELISTING OF EQUITY SHARES) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2025

**No. SEBI/LAD-NRO/GN/2025/257** — In exercise of the powers conferred by section 31 read with section 21A of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956) and section 30, sub-section (1) of section 11 and sub-section (2) of section 11A of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2021, namely: —

- 1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) (Amendment) Regulations, 2025.
- 2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette:
  - Provided that the provisions of these regulations shall be applicable to the delisting offers where initial public announcement for the delisting has not been made.
- 3. In the Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2021, in Chapter VI, after Part E, the following Part shall be inserted, namely,-

#### "Part-F

### SPECIAL PROVISIONS FOR DELISTING OF PUBLIC SECTOR UNDERTAKING

## **Delisting of Equity Shares of Public Sector Undertakings**

- **38B.** (1) The provisions of these regulations, shall mutatis mutandis apply to delisting of equity shares of public sector undertakings, other than Banks, Non-Banking Financial Companies and Insurance Companies, subject to the provisions of sub-regulations (2) and (3).
- (2) The equity shares of public sector undertaking referred to in sub-regulation (1) may be delisted from all the recognised stock exchanges where they are listed, subject to the following:
- (a) the aggregate shareholding of the acquirer along with other public sector undertaking(s) equal or exceed ninety per cent of the total issued shares of that class;
- (b) the delisting is approved by the shareholders of the public sector undertaking referred to in sub-regulation (1), by way of a special resolution passed through postal ballot or e-voting, and the explanatory statement to the notice of such resolution contains all material facts in relation to such delisting;
- (c) the delisting is undertaken through the fixed price process;
- (d) the floor price of the equity shares proposed to be delisted shall not be less than the highest of the following:
  - volume weighted average price paid or payable for acquisitions by the acquirer along with persons acting in concert, during the 52 weeks immediately preceding the reference date;
  - (ii) the highest price paid or payable for any acquisition by the acquirer along with persons acting in concert during the 26 weeks immediately preceding the reference date;

- (iii) the price determined under a joint valuation report obtained from two independent registered valuers, taking into account valuation parameters such as book value, adjusted book value, comparable trading multiples, income approach and any other customary valuation metrics as applicable for valuation of shares of companies in the same industry; and
- (e) the delisting price shall be at least fifteen percent higher than the price determined under sub-clause (d).
- (3) Where a public sector undertaking whose shares have been delisted in accordance with the provisions of this Part undertakes voluntary strike-off under the applicable laws, and if such strike-off is effected after one year from the date of delisting but not later than thirty days from the expiry of such one-year period, then such strike-off shall be subject to fulfilment of the following conditions-
- (a) the amount which is due to the remaining public shareholders who have not tendered their shares in the delisting process shall be transferred to specified account of the designated stock exchange, which shall hold such amount for a period of seven years during which period the investors may claim the amount payable to them from the designated Stock Exchange;
- (b) after completion of the period specified under clause (a), such amount shall be transferred as per applicable laws to the Investor Education and Protection Fund established under the Companies Act, 2013;
- (c) if, for any reason, the amount specified in clause (b) cannot be transferred to the Investor Education and Protection Fund established under the Companies Act, 2013, such amount shall be transferred to the Investor Protection and Education Fund of the Board; and
- (d) after the transfer of amount to the Investor Education and Protection Fund or Investor Protection and Education Fund, as the case may be, the investor may claim the payable amount from the designated Stock Exchange, which in turn may claim reimbursement from the aforesaid fund in accordance with the procedures as may be specified by the Board from time to time."

AMIT PRADHAN, Executive Director [ADVT.-III/4/Exty./333/2025-26]

#### **Footnotes:**

- 1. The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2021 were published in the Gazette of India on June 10, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021-25.
- 2. The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2021 were subsequently amended on,
  - (1) 3<sup>rd</sup> August, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/30.
  - (2) 25<sup>th</sup> September 2024 by the Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) (Amendment) Regulations, 2024 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/206.
  - (3) 28<sup>th</sup> November 2024 by the Securities and Exchange Board of India (Attestation of Documents) (Amendment) Regulations, 2024 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/212.